संक्षिप्त नोट
बोर का भाटडा लघु सिंचाई परियोजना

बोर का भाटडा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के डूँगरपुर जिले के भ्रमण अवधि दिनांक 25.4.06 से 28.4.06 के दौरान राशि रू. 2.77 करोड की घोषणा अर्न्तगत 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित किया गया। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश संख्या F-3(5) AS/ I / Cell / 06 / 441 दिनांक 18.7.06 से राशि रू. 275.93 लाख की जारी की गई। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 555 दिनांक 05.08.06 द्वारा भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने एवं निविदा आंमत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस बॉध की कुल भराव क्षमता 23.73 एम.सी.एफ.टी. एवं सी.सी.ए. 134 हैक्टर है।

बांध निर्माण हेतु निविदा संख्या 10 / 2006-07 दिनांक 8.8.06 जारी की गई। बांध निर्माण कार्य न्यूनतम संवेदक मेसर्स सारण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बीकानेर को 5% अधिक पर रू. 187.16 लाख का कार्यदेश दिनांक 02.03.07 को प्रदान किया गया जिसमें कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथी क्रमशः 12.3.07 एवं 11.3.08 थी। ठेकेदार द्वारा वास्तव में कार्य दिनांक 13.11.2007 को प्रारम्भ किया गया। बांध का कार्य देरी से प्रारम्भ करने का मुख्य कारण, काश्तकारो द्वारा कार्य नहीं होने देने का था। ठेकेदार द्वारा राशि रू. 187.16 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रू. 113.89 लाख का कार्य वर्ष 2008 की वर्षा ऋतु पूर्व तक किया इसके बाद दिनांक 05.12.08 से नाला पोर्शन का कार्य बन्द है। बॉध निर्माण हेतु C.O.T. खुदाई, फिलिंग एवं नाला प्रोर्शन के अलावा RL 106.50 m. तक मिट्टी कार्य, Sluice का निर्माण कार्य, बायवाश कटींग कार्य, वींगवाल निर्माण कार्य अब तक किया गया है।

भूमि अवाप्ति के संबंध में कार्यवाही का विवरण--

भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4 का गजट प्रकाशन दिनांक 15.2.07 को तथा धारा 6 का गजट प्रकाशन दिनांक 18.6.07 को हुआ। मुआवजा राशी के एवार्ड दिनांक 13.8.2007 को जारी किए गए। भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम दिनांक 31.5.10 को स्वीकृत हुआ। कुल मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है।

(रकबा बीघा में एवं राशि रू. लाखों में)

कुल			चेक जारी किए				चेक स्वीकार किए				चेक वापस प्राप्त हुए			
खातेदार	रकबा	राशि	खाते-दार	रकबा	राशि	दिनांक	खातेदार	रकबा	राशि	दिनांक	खातेदार	रकबा	राशि	दिनांक
39	135	54.06	39	135	54.06	24.8.12 नवीनी करण कर	18	42	17.11	-	21	93	36.95	5.6.08

चेक स्वीकार नहीं करने वाले काश्तकारो के बारे में टिप्पणी--

कुल 21 काश्तकारो ने मुआवजा का नकद भुगतान नहीं चाहा जा कर उसी जगह जमीन के बदले जमीन की मांग की। इस हेतु समय समय पर जिला प्रशासन एवं पुलिस की मदद भी ली गई परन्तु काश्तकारो द्वारा कार्य बन्द करवा अपनी मांग पर अडिग रहे कि हमें जमीन के बदले जमीन समीपस्थ वन क्षेत्र 'राणी-झुला' में ही दिलाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी डूगरपुर के न्यायालय में माह 10 / 07 में उक्त डूब के काश्तकारो ने वाद दायर किये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण रेफरेन्स में चले गये, जिसका निर्णय विभाग के पक्ष में हुआ। तत्पश्चात् काश्तकारो द्वारा जमीन के बदले जमीन एवं बाजार दर से मुआवजा भुगतान करने की मांग का सिविल न्यायालय (व.ख.) डूंगरपुर में वाद दायर किये। जिस पर माननीय सिविल न्यायालय डूंगरपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.10.10 एवं अन्य दिनांकों से समस्त प्रकरणों को निरस्त कर फैसला विभाग के पक्ष में दिया गया जिसके विरूद्ध में कास्तकारों द्वारा कुल 10 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की गई जिसका

प्रकरण संख्या एसबीसीएमए नं. 04/2012 से 13/2012 दर्ज होकर प्रकरण न्यायालय मे विचाराधिन है एवं आगामी सुनवाई दिनांक 25.01.2018 निर्धारित है।

प्रभावित व्यक्तियों को समीपस्थ वन क्षैत्र रानी--झुला में बसाने हेतु जिला कलक्टर, डूँगरपुर ने पत्रांक 320 दिनांक 20.1.09 द्वारा उपवन संरक्षक, डूँगरपुर को डूब से विस्थापितो को बसाने हेतु राजस्व भूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरित करने की सहमति दी। जिला कलक्टर, डूँगरपुर ने पत्रांक 1241 दिनांक 12.05.2009 द्वारा शासन सचिव महोदय, वन विभाग, राज., जयपुर को मागदर्शन हेतु लिखा। खण्डिय कार्यालय के पत्रांक 3276–3279 दिनांक 3.7.2009 द्वारा प्रधान मुख्यवन संरक्षक राजस्थान जयपुर को विस्थापितो को भूमि आवंटन के प्रस्ताव वन खण्ड रानी–झुला से लिखा गया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 4819 दिनांक 15.7.09 से आवासीय प्रयोजनार्थ वन–भूमि के प्रत्यावर्तन प्रावधान नहीं होनें के आक्षेप में लौटा दिया गया।

प्रभावित विस्थापितों से विभिन्न स्तर पर समझाईश की गई परन्तु वे जमीन के बदले जमीन बांध स्थल के समीप वन खण्ड 'रानीझूला' में ही देने की मॉग पर अडिग रहे। प्रशासन द्वारा माथुगामडा खास में बिलानाम भूमि उपलब्ध कराने बाबत् काश्तकारो से समझाई की गई, परन्तु काश्तकारों ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति न देकर बांध के समीप ही रानीझुला में जमीन के बदले जमीन की मांग की। क्योंकि रानीझूला क्षैत्र की जमीन वनविभाग की थी जिसका गैर वानिकी उपयोग सम्भव नहीं था। ऐसी परिस्थिति मे काश्तकरो की गैर वाजिब मांग पूरी नही की जा सकी। उक्त परिस्थितियों के रहते बॉध कार्य वर्तमान तक बन्द है।

<u>नहर निर्माण संबंधित विवरण</u> – परियोजना की नहर निर्माण का तखमीना राशि रू. 40.18 लाख का अधिशाषी अभियंता के पत्रांक 8549–52 दि. 13.10.06 से स्वीकृत किया गया। नहर कार्य का कार्यादेश पत्रांक 9740 दिनांक 9.11.06 द्वारा राशि रू. 37.51 लाख का अधीक्षण अभियंता जल संसाधन निर्माण वृत, उदयपुर से स्वीकृति किया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति दिनांक क्रमशः 18.11.06 एवं 17.5.07 निर्धारित की गई। कार्य दिनांक 05.01.2007 को प्रारम्भ होकर दिनांक 10.04.2008 को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में नहर कार्य पूर्ण हो चुका है।

<u>मुआवजा भुगतान की वर्तमान स्थिति</u> – परियोजना के मुआवजा भुगतान हेतु 21 खातेदारों के 27 चेक राशि रू. 36.95 लाख के भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 31(2) की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, डूँगरपुर को खण्डिय अधिकारी द्वारा दिनांक 4.9.12 को भेजे गये। उपखण्ड अधिकारी, डूँगरपुर ने दिनांक 27.9.12 को उक्त खातेदारों के चेक न्यायालय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर में जमा कराये। प्रकरण में आदेश दिनांक 18.11.2013 चैक पुनः लौटाये जाने के दिये। अतः काश्तकारों को लम्बित चैक के भुगतान की कार्यवाही नहीं हो सकी।

इस दरम्यान 10 काश्तकारो ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल न्यायालय (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे,ट डूंगरपुर के समय समय पर प्रदत्त आदेश दिनांक क्रमशः 30.10.10 एवं अन्य दिनांकों (19.11.10, 25.05.11, 26.05.11, 27.05.11, 28.05.11, 30.05.11 एवं 31.05.11) जिमसें मुआवजा राशि को अधिक दर से देने एवं भूमि के बदले भूमि की मांग को निरस्त कर विभाग के पक्ष में आदेश पारित किया था के विरूद्व रिट दायर कर सिविल न्यायालय (व.ख.) डूंगरपुर के उक्त आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की। वर्तमान में ये प्रकरण विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय ने इन प्रकरणों में स्थगन प्रदान नहीं किया है।

भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम दिनांक 31.5.2010 से किया हुआ है परन्तु काश्तकारो द्वारा कब्जा नहीं छोडा है। इस कार्य को प्रारम्भ कराने के लिये प्रशासन के स्तर

से ही काश्तकारो का कब्जा हटवाने हेतु पुलिस बल मय मजिस्ट्रेट के मुहैया करा भूमि प्राप्त की जा सकती है। परन्तु **Law & Order situation** के परिपेक्ष्य में इस तरह समाधान नहीं है।

बांध का शेष कार्य विभिन्न स्तरो जिसमें जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन एवं पुलिस स्तर सम्मिलित है के प्रयासों के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं हो सका है। काश्तकार जमीन के बदले जमीन की मांग पर कायम है। इसी सम्बन्ध में ग्राम उँटीया के काश्तकारों के साथ दिनांक 25.04.2016 को माननीय विधायक चौरासी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की गयी व समझाईश के प्रयास किये गये लेकिन काश्तकार अभी भी जमीन के जमीन की मांग पर कायम है। विधायक महोदय द्वारा इस सकारात्मक प्रयास हेतु तहसीलदार, डूंगरपुर को जमीन के बदले जमीन देने हेतु राजस्व भूमि तलाशने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वन विभाग से भी वार्ता करने का आश्वासन भी दिया गया हैं। दिनांक 25.04.2016 को ही जिला कलक्टर, डूंगरपुर के साथ भी काश्तकार एवं अधिकारियों के साथ मय विधायक चौरासी के वार्ता की गयी एवं जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदार, डूंगरपुर को निर्देशित किया गया।

इस संबंध में दिनांक 30.06.2017 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग में माननीया मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार प्रभावित कास्तकारों को वनक्षेत्र रानीझुला में 6.5 हैक्टर भूमि आवंटन हेतु वन विभाग से वनभूमि के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 28.07.2017 को A.P.C.C.F. Rajasthan Jaipur को प्रस्तुत किये गये तत्पश्चात आक्षेप दिनांक 21.08.2017, 12.09.2017, 11.10.2017, 01.11.2017 एवं 12.12.2017 को प्राप्त हुए जिसका प्रतिउत्तर समय समय पर दिया गया एवं अन्तिम आक्षेपो का प्रतिउत्तर इस कार्यालय के पत्र संख्या 4546 दिनांक 18.12.2017 को दिया गया हैं। समस्या का समाधान कर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कराया जाना है।

अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन खण्ड, डूँगरपुर